राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2012/2023

बाबुलाल चौहान –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर, राजस्थान।
3. जिला कलक्टर, जिला जालौर।
4. तहसीलदार सायला, जिला जालोर।
5. फतेह सिंह, कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, सब तहसीलदार, सब तहसील दूदवा, जिला बाड़मेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– **अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर जिवाणा, जिला जालौर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार मकराना, जिला नागौर के पद पर किया गया। अपीलार्थी के ओर से तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी का वर्तमान पद पर स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.05.2022 के द्वारा किया गया था, जिसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 24.05.2022 को वर्तमान पद पर कार्यग्रहण किया। वर्तमान स्थानांतरण आदेश में प्रत्यर्थी विभाग ने भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार किया जाना बताया है, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश दिनांक 02.06.2023 से केवलमात्र उन्हीं कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है जो चुनाव से सीधे प्रकार से जुड़े हो और जिनका पदस्थापन गृह जिले में हो अथवा जिन्हें पदस्थापन हुये 3 वर्ष से अधिक समय हो गया हो। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थी का गृह जिला पाली है एवं अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर मई, 2022 से ही कार्यरत है। ऐसे में भारतीय

निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश अपीलार्थी पर लागू नहीं होते है। अतः अपीलार्थी का स्थानांतरण गलत प्रकार से किया गया है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि नायब तहसीलदार जीवाणा एईआरओ का पद है। इस प्रकार अपीलार्थी सीधे प्रकार से निर्वाचन के कार्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि जिले में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित होने के कारण अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 437 / 6 / 1 / आईएनएसटी / ईसीआई / एफयूएनसीटी / एमसीसी / 2023 दिनांक 02.06.2023, 22.02.2019 एवं निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023, 2658 दिनांक 04.07.2023 एवं क्रमांक 1050 दिनांक के क्रम में राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7(1) राज–1 / 2015 दिनांक 31.07.2023 की पालना में किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर से अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.05.2023 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में अंकित प्रत्येक बिन्दूओं के संबंध में विधान सभा चुनाव से जुड़े ऐसे तहसीलदार / नायब तहसीलदार जिनका गृह विधान सभा क्षेत्र हो, जिनका गृह जिला हो या जिनकी सेवा अवधि गत 4 वर्षो में से 3 वर्ष से अधिक हो गयी हो एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर निर्वाचन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437 / 6 / 1 / आईएनएसटी / ईसीआई / एफयूएनसीटी / एमसीसी / 2023 दिनांक 02.06.2023 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7 (1) राज– 1 / 2015 दिनांक 31.07.2023 के क्रम में राजस्व मण्डल का स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश क्रमांक 3444 दिनांक 31.07.2023 जारी किया गया है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने एईआरओ के पद पर होना बताया है। इस प्रकार अपीलार्थी सीधे प्रकार से चुनाव कार्य से जुड़ा हुआ है। जहां तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध का प्रश्न है, उक्त प्रतिबंध का आदेश प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2023 जारी कर लागू किया है। वर्तमान स्थानांतरण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया पत्र दिनांक 02.06.2023 के परिप्रेक्ष्य में किये गये हैं। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग का आदेश केवलमात्र डाइरेक्ट्री है, जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया आदेश 20.06.2023 की पालना में स्थानांतरण पर

लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 20.06.2023 राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। आलोच्य आदेश विधानसभा आम चुनाव 2023 को देखते हुए राज्यहित व प्रशासनिक कारणों से किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)

विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत भारतीय निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 02.06.2023 व 22.02.2019 एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के पत्र दिनांक 02.06.2023, 04.07.2023 एवं 28.07.2023 की पालना में किया गया है, जो राज्यहित में एवं प्रशासनिक दृष्टि से किया जाना आलौच्य आदेश में अंकित है।